उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या: 6/2026/599/तीस-4-2026/30-4010(001)/4/2026

लखनऊ; दिनांक: 08 जुलाई, 2026

अधिसूचना

आदेश

चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अत्यंत प्रदूषणकारी पुराने व्यावसायिक यानों को प्रतिस्थापित करने के लिए "परिवर्तन योजना (प्रोग्राम फॉर एक्सेलेरेटेड रिन्यूअल एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ व्हीकल एसेट्स फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पॉल्यूशन एंड नेटवर्क एमिशंस)" को मंजूरी दी गई है;

और चूंकि उत्तर प्रदेश एनसीआर क्षेत्र में पूर्वोक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और यान स्वामियों को अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी नवीन या प्रयुक्त व्यावसायिक यानों को क्रय के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, मोटर यान कर (रोड टैक्स) और रजिस्ट्रीकरण फीस पर छूट प्रदान करने का विनिश्चय किया गया है। यह रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा (आर वी एस एफ) के माध्यम से भारत स्टेज (बीएस-I, बीएस -II, बीएस -III, और बीएस -IV) उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले पुराने ट्रकों और बसों को स्क्रैपिंग करने, और उनके स्थान पर नए बीएस -VI या इलेक्ट्रिक यानों के क्रय को प्रोत्साहित करने के लिए लागू होती है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1997) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश एनसीआर क्षेत्र के भीतर आने वाले उत्तर प्रदेश के 08 जिलों में "परिवर्तन योजना" के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा (आर वी एस एफ) के माध्यम से भारत स्टेज (बीएस-I, बीएस -II, बीएस -III, और बीएस -IV) उत्सर्जन मानकों के अनुरूप पुराने ट्रकों (एल जी वी / एम जी वी/एच जी वी) और बसों (एल पी वी/एम पी वी/एच पी वी) को स्क्रैप करने और उन्हें नए बीएस-VI या इलेक्ट्रिक यानों से प्रतिस्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कर और फीस से छूट देते हैं, अर्थात:-

(क) पूर्वोक्त योजना के अधीन, नवीन यानों के क्रय पर मोटर यान कर में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी और पूर्व-स्वामित्व (प्रयुक्त) यानों के क्रय पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। दोनों ही मामलों में, मोटर यान कर पर छूट 10 वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी;

(ख) पूर्वोक्त योजना के अधीन क्रय किये गये नवीन यानों के लिए "रजिस्ट्रीकरण फीस" पर पूर्ण छूट प्रदान की जायेगी;

http://shasanadesh.up.gov.in

(ग) उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत बीएस-I, बीएस -II, बीएस -III एवं बीएस-IV उत्सर्जन मानक वाले ट्रकों एवं बसों पर एक वर्ष से अधिक की लंबित दायित्व(कर) को अधित्यजन करने हेतु स्वीकृत किया जाता है। यह अधित्यजन केवल उन यान स्वामियों को अनुज्ञेय होगी, जो पुराने यानों को प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा (आर वी एस एफ) के माध्यम से स्क्रैप करते हैं और उसके स्थान पर एक नवीन बीएस-VI या इलेक्ट्रिक यान का क्रय करते हैं और उसको रजिस्टर कराते हैं।

आज्ञा से,

अर्चना अग्रवाल
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 6/2026/599(1)/तीस-4-2026/30-4010(001)/4/2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना आदेश को दिनांक 08.07.2026 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 150 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

उमा द्विवेदी
विशेष सचिव

संख्या- 6/2026/599(2)/तीस-4-2026/30-4010(001)/4/2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

उमा द्विवेदी
विशेष सचिव

संख्या- 6/2026/599(3)/तीस-4-2026/30-4010(001)/4/2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5- स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, कैसरबाग, लखनऊ।
6- अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व), उत्तर प्रदेश।
7- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8- विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan

Parivahan Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.6/2026/599/XXX-4-2026/30-4010(001)/4/2026 dated : 08 July, 2026.

NOTIFICATION

Order

No.6/2026/599/XXX-4-2026/30-4010(001)/4/2026

dated : 08 July, 2026

WHEREAS with a view to control air pollution and protect the environment in the National Capital Region (Delhi-NCR), the **"PARIVARTAN"** (Programme for Accelerated Renewal and Incentivization of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emissions) has been approved by the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH), Government of India, to replace highly polluting old commercial vehicles ;

AND WHEREAS for effective implementation of the aforesaid scheme in the Uttar Pradesh NCR region and to encourage vehicle owners to purchase relatively less polluting new or used commercial vehicles, a decision has been taken to grant exemptions on motor vehicle tax (road tax) and registration fees. This applies to scrapping old trucks and buses adhering to Bharat Stage (BS-I, BS-II, BS-III, and BS-IV) emission standards through a Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF), and encouraging the purchase of new BS-VI or electric vehicles in their place ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act No. 21 of 1997), the Governor is pleased to exempt tax and fees as detailed below, to encourage the scrapping of old trucks (LGV/MGV/HGV) and buses (LPV/MPV/HPV) conforming to Bharat Stage (BS-I, BS-II, BS-III, and BS-IV) emission standards through a Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) under the " PARIVARTAN" across the 08 districts of Uttar Pradesh falling within the Uttar Pradesh NCR region, and replacing them with new BS-VI or electric vehicles , namely:-

http://shasanadesh.up.gov.in

(a) under the aforesaid scheme, a 100 per cent exemption on motor vehicle tax shall be provided on the purchase of new vehicles, and a 50 per cent exemption shall be provided on the purchase of pre-owned (used) vehicles. In both cases, the exemption on motor vehicle tax shall remain valid for a period of 10 years ;

(b) a complete exemption on the "Registration Fee" is granted for new vehicles purchased under the aforesaid scheme ;

(c) approval is granted to waive the pending tax liability of more than one year on trucks and buses conforming to BS-I, BS-II, BS-III, and BS-IV emission standards registered in the NCR region of Uttar Pradesh. This waiver shall be admissible only to those vehicle owners who scrap their old vehicles through an authorized Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) and purchase and register a new BS-VI or electric vehicle in its place.

By order,

Archana Agrawal
Additional Chief Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in